पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मो. मीना देवी एवं अन्य

बनाम

भारत संघ

2016 का विविध अपील सं. 795

18 अप्रैल 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय)

विचार के लिए मुद्दा

रेलवे ट्रैक पर किसी अनहोनी घटना में दावेदार के पति एवं पिता की मृत्यु के लिए दावेदार मुआवजे के हकदार हैं या नहीं?

हेडनोट्स

रेलवे अधिनियम, 1989---धारा 2(29), 123, 124, 124-ए, 125---रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम---धारा 16---रेलवे ट्रैक पर किसी अनहोनी घटना में दावेदार के पति एवं पिता की मृत्यु के लिए रेलवे न्यायाधिकरण के समक्ष दावेदारों के मुआवजे के दावे को खारिज करने के आदेश के विरुद्ध अपील।

निर्णय: रेलवे अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के तहत "यात्री" की मृत्यु या चोट के लिए मुआवजा देय है --- वर्तमान मामले में, दावेदार/अपीलकर्ता मृतक का वैध रेलवे टिकट प्रस्तुत करने में विफल रहे ---- टिकट के अभाव में भी दावा कायम रखा जा सकता है लेकिन इसे आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, हालांकि, वर्तमान मामले में, तथ्य और परिस्थितियां भी यह स्थापित नहीं करती हैं कि मृतक एक वास्तविक यात्री था----रेलवे परिसर में केवल एक शव की उपस्थिति यह मानने के लिए

निर्णायक नहीं होगी कि घायल या मृतक एक वास्तविक यात्री था जिसके लिए मुआवजे के लिए दावा बनाए रखा जा सकता है---मृतक की मृत्यु का कारण ट्रेन से कुचल जाना था न कि दुर्घटनावश गिरना---दावेदार/अपीलकर्ता प्रतिवादियों से मुआवजे के लिए पात्र होने की दोहरी आवश्यकताओं को स्थापित करने में विफल रहे, अर्थात (i) वास्तविक यात्री और (ii) अनपेक्षित दुर्घटना --- वर्तमान मामले में दावेदार/अपीलकर्ता के इस तथ्य का समर्थन करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हैं कि मृतक दुर्घटनावश गिरने के कारण मृत्यु हो गई और इस प्रकार यह एक 'अप्रत्याशित दुर्घटना' थी--- दावेदारों को सही रूप से किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं पाया गया---- अपील खारिज की गई। (पैरा 9-11)

न्याय दृष्टान्त

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रीना देवी, (2019) 3 एससीसी 572 .....**पर भरोसा किया गया।**

अधिनियमों की सूची

रेलवे अधिनियम, 1989, रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम

मुख्य शब्दों की सूची

रेलवे--- मुआवजे के लिए दावा---- रेलवे ट्रैक पर अनपेक्षित घटना--- मुआवजे के लिए पात्र होने की दोहरी आवश्यकताएं--- वास्तविक यात्री--- दुर्घटनावश गिरना।

प्रकरण से उत्पन्न

रेलवे दावा न्यायाधिकरण, पटना बेंच द्वारा दावा आवेदन संख्या ओ.ए-00072/2009 में पारित दिनांक 01.04.2016 का आदेश।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री सिद्धेंद्र नारायण सिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री राकेश कुमार सिन्हा, सीजीसी

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का विविध अपील सं. 795

==========

1. मो. मीना देवी, विधवा- स्वर्गीय छोटन सिंह

2. राम कुमार, पुत्र- स्वर्गीय छोटन सिंह

3. निक्की कुमारी, नाबालिग (अब बड़ी), पुत्री- अस्वर्गीय छोटन सिंह

सभी निवासी- गांव- लहेरिया टोला, वार्ड नंबर 11, थाना- मोकामा, जिला पटना।

... ... अपीलकर्ता/ ओं

बनाम

भारत संघ, महाप्रबंधक के माध्यम से, पूर्वी मध्य रेलवे, हाजीपुर बिहार

... ... उत्तरवादी/ ओं

==========

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सिद्धेंद्र नारायण सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री राकेश कुमार सिन्हा, सी. जी. सी

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

सीएवी निर्णय

दिनांक : 18-04-2025

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी गई।

2. यह विविध अपील रेलवे दावा न्यायाधिकरण, पटना पीठ द्वारा दावा आवेदन संख्या सं. 2009 का ओ. ए.-00072 में पारित दिनांक 01.04.2016 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा रेलवे ट्रैक पर एक अप्रिय घटना में दावेदार के पति और पिता की मृत्यु के लिए रेलवे न्यायाधिकरण के समक्ष दावेदारों के मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया गया था।

3. इस अपील में संक्षिप्त तथ्य यह है कि 21.12.2008 को मृतक छोटन सिंह मोकामा स्थित अपने घर से टिकट संख्या 52054092 लेकर रेलगाड़ी से बाढ़ के लिए चला था और उसी दिन बाढ़ से मोकामा लौटते समय उसके पास टिकट संख्या 52054093 थी। बाढ़ से मोकामा की यात्रा के दौरान दावेदारों द्वारा दावा किया गया कि वह शिवनार रेलवे हॉल्ट के निकट रेल पटरी पर ट्रेन से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया तथा उक्त चोटों के कारण रेल पटरी पर ही उसकी मृत्यु हो गई। जब मृतक घर वापस नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। उन्होंने रेल पटरी पर एक शव मिलने की सूचना सुनी और मौके पर जाकर मृतक की पहचान छोटन सिंह के रूप में की। सूचना के आधार पर जीआरपीएफ, मोकामा आई और मृतक की जेब से उक्त दोनों टिकट बरामद किए गए। जीआरपीएफ ने यूडी केस संख्या 100/2009 दर्ज किया। 41/2008 के तहत दिनांक 22.12.2008 को जांच रिपोर्ट तैयार की गई तथा मृतक छोटन सिंह का दामाद होने का दावा करने वाले संजय कुमार के लिखित अनुरोध पर छोटन सिंह का शव पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार हेतु संजय कुमार को सौंप दिया गया।

4. पूछताछ रिपोर्ट, उपरोक्त टिकटों के विवरण, संजय कुमार के लिखित आवेदन और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें से सभी ने खुलासा किया कि मृतक छोटन सिंह की कथित रूप से ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जी. आर. पी.

एफ., मोकामा ने जांच के बाद यू. डी. केस नं. 2008 की धारा 41 में ही 22.12.2008 पर कथित रूप से कहा गया है कि छोटन सिंह की मृत्यु एक रेल दुर्घटना में हुई थी।

5. आवेदक/दावेदार-अपीलकर्ता क्रमशः मृतक छोटन सिंह की विधवा, पुत्र एवं नाबालिग पुत्री (जो अब वयस्क हो चुकी है) ने रेलवे अधिनियम की धारा 125 के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 124/124-ए सहपठित रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 16 के तहत मुआवजे का दावा करते हुए दिनांक 06.04.2009 को रेलवे दावा न्यायाधिकरण की विद्वान पटना पीठ के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसे दिनांक 09.04.2009 को मामला संख्या ओए 00072/2009 के रूप में पंजीकृत किया गया, जिसमें उक्त छोटन सिंह की अप्रत्याशित घटनाओं में मृत्यु के कारण 4,00,000/- (चार लाख रुपए) रुपए के मुआवजे का दावा किया गया। उन्होंने मृतक के दिनांक 03.02.2009 के मृत्यु प्रमाण पत्र, दिनांक 12.02.2009 के पारिवारिक प्रमाण पत्र की सूची, आधार कार्ड, फोटो आदि के साथ-साथ एन-सीरीज में निहित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। एन-सीरीज 1 और 2 में निहित उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा, जिन्हें विद्वान रेलवे दावा न्यायाधिकरण के समक्ष एन-ए/1 से ए/9 के रूप में विधिवत प्रदर्शित किया गया था, अपीलकर्ता संख्या 1 ने उपरोक्त दावे के समर्थन में 20.04.2015 को अपना मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया।

6. न्यायाधिकरण ने पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों और रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर दावे के मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मृतक की मौत ट्रेन से कुचलने के कारण हुई थी, न कि रेलवे अधिनियम की धारा 123 के तहत परिभाषित किसी "अप्रिय दुर्घटना" के कारण। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि मृतक के शरीर पर पाए गए टिकट वैध टिकट नहीं थे और वे यह साबित नहीं करते कि मृतक एक वास्तविक यात्री था जो प्रतिवादियों से मुआवजे का दावा करने का हकदार होगा।

7. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जाँच रिपोर्ट, यू. डी. मामले और सभी दस्तावेजों से साबित होता है कि मृतक की मृत्यु एक अप्रिय दुर्घटना में ट्रेन से गिरने से हुई थी। अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील ने ***भारत संघ बनाम रीना देवी का निर्णय, (2019) 3 एससीसी 572*** के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि दावेदार द्वारा प्रासंगिक तथ्यों का एक हलफनामा दायर किया जाता है तो इस बात के प्रमाण की जिम्मेदारी कि एक दावेदार एक वास्तविक यात्री है, रेलवे पर स्थानांतरित की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> *" दिल्ली उच्च न्यायालय में **गुरचरण सिंह [गुरचरण सिंह बनाम भारत संघ, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 101]** कि किसी वास्तविक यात्री की मृत्यु या चोट को साबित करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी हमेशा दावेदार पर होती है।हालाँकि, यदि दावेदार द्वारा प्रासंगिक तथ्यों का एक हलफनामा दायर किया जाता है तो इस तरह की जिम्मेदारी रेलवे पर स्थानांतरित हो सकती है।रेलवे पर नकारात्मक जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है।यह साबित करने की जिम्मेदारी कि मृतक या घायल एक वास्तविक यात्री था, टिकट के अभाव में भी छूट्टी दी जा सकती है यदि प्रासंगिक तथ्यों से पता चलता है कि टिकट खरीदा गया था लेकिन वह खो गया था।"*

7.i उन्होंने प्रस्तुत किया कि तत्काल मामले में, दावेदार अर्थात मृतक की पत्नी ने शपथ पत्र में कहा कि उनके पति की मृत्यु दुर्घटनावश गिरने से हुई। इस प्रकार यह साबित करने की जिम्मेदारी प्रत्यर्थी रेलवे पर पड़ती है कि मृतक एक

वास्तविक यात्री नहीं था।इसके बाद उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की वैधता/वास्तविकता न तो विवादित है और न ही प्रतिवादी द्वारा किसी भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा इसे गलत साबित किया गया है।उन्होंने आगे कहा कि यह अच्छी तरह से तय है कि या तो चलती ट्रेन से गिरना या ट्रेन में चढ़ते समय गिरना, सभी अप्रिय घटनाओं के दायरे में आते हैं और पीड़ित के आश्रित उत्तरदाता-रेलवे से मुआवजे के हकदार होंगे। उन्होंने आगे कहा कि विवादित आदेश अवैध, त्रुटिपूर्ण, कमजोर आधारों पर आधारित है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।

8. दूसरी ओर प्रत्यर्थी/रेलवे के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ***रीना देवी (उपरोक्त)*** के निर्णय पर अपीलार्थियों की निर्भरता गलत है क्योंकि पहली आवश्यकता यह है कि मृतक के पास एक वैध टिकट होना चाहिए था। वकील ने प्रस्तुत किया कि रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए दावेदार को दो आवश्यकताओं को साबित करने की आवश्यकता है, अर्थात।

> I. दावेदार रेलवे अधिनियम, 1989 में परिभाषित अनुसार 'यात्री' होना चाहिए और
>
> ii. यात्री को अधिनियम में परिभाषित 'अप्रिय दुर्घटना' में अपनी जान गंवानी चाहिए थी।

8.i. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 'यात्री' को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 2 (29) में परिभाषित किया गया है।वह इस प्रकार हैः

> *(29). "यात्री" का अर्थ है वैध पास या टिकट के साथ यात्रा करने वाला व्यक्ति।*
>
> *'अधिनियम की धारा 123 में 'अप्रिय दुर्घटना' को परिभाषित किया गया है और यह इस प्रकार हैः*

"123. परिभाषाएँ—इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो -

(ग) "अप्रिय घटना" का अर्थ है -

(1) (i) आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (1987 का 28) की धारा (3) की उप-धारा (1) के अर्थ के भीतर आतंकवादी कार्य करना; या

(ii) हिंसक हमला करना या डकैती या डकैती करना; या

(iii) यात्रियों को ले जा रही किसी ट्रेन में या उसमें, या प्रतीक्षा कक्ष, वस्त्र कक्ष या आरक्षण या आरक्षण कार्यालय में या किसी प्लेटफॉर्म पर या रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी अन्य स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा दंगे, गोलीबारी या आगजनी में लिप्त होना; या (2) यात्रियों को ले जा रही ट्रेन से किसी यात्री का दुर्घटनावश गिरना।

8.ii. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि मृतक का शव रेलवे पटरी पर पड़ा हुआ पाया गया था। जी.आर.पी.एफ. द्वारा तैयार अंतिम रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मृतक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला था। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि मृतक ट्रेन से नहीं गिरा था और ट्रेन से दुर्घटनावश गिरना साबित करने की जिम्मेदारी दावेदार पर है। इसके बाद वह प्रस्तुत करता है कि दावेदार के मामले में ट्रेन से गिरने की किसी भी घटना का उल्लेख नहीं है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 123 (सी) के तहत परिभाषा के अनुसार कोई अप्रिय दुर्घटना नहीं होती है।

8.iii. इसके बाद उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में कहा कि रेलवे पुलिस द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि दावेदार की मौत ट्रेन से कुचलने के कारण हुई है न कि दुर्घटनावश गिरने के कारण।न्यायाधिकरण ने यह भी

माना कि मृतक के शरीर पर पाया गया टिकट वैध टिकट नहीं था।विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दावेदारों ने दावेदार का वैध ट्रेन टिकट नहीं दिखाया, बल्कि कथित टिकट की फोटो-प्रति दिखाई।उन्होंने आगे कहा कि पुलिस की अंतिम जांच रिपोर्ट में भी रेलवे टिकट के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।अंतिम रिपोर्ट के साथ-साथ घटना स्थल पर तैयार की गई जाँच रिपोर्ट में कहा गया है कि दावेदार की मृत्यु दुर्घटनावश गिरने के कारण नहीं हुई थी।

8.iv. उन्होंने आगे कहा कि ***रीना देवी (उपरोक्त)*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अपीलकर्ताओं का भरोसा अपीलकर्ताओं की मदद कर सकता है, क्योंकि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत हलफनामे को अन्य साक्ष्यों के साथ पुष्ट किया जाना है। उन्होंने कहा कि केवल वैध टिकट के साथ यात्रा करने वाला वास्तविक यात्री ही मुआवजे के लिए पात्र है, जो ट्रेन से गिरने से दुर्घटनावश मर जाता है और इस मामले में, दावेदारों/अपीलकर्ताओं द्वारा कोई भी आवश्यकता पूरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि दावे के मामले से जुड़ी परिस्थितियाँ 'अप्रत्याशित घटना' के कारण नहीं बल्कि 'चलाने' के कारण मृत्यु की ओर इशारा करती हैं और इस प्रकार न्यायाधिकरण द्वारा इसे सही रूप से खारिज कर दिया गया है।

9. मैंने पक्षकारों के वकील की दलीलों का विस्तार से अध्ययन किया है और अभिलेख पर सामग्री का भी अध्ययन किया है।जैसा कि प्रत्यर्थी के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जैसा कि रेलवे अधिनियम, 1989 के वैधानिक प्रावधानों से देखा गया है, "यात्री" की मृत्यु या चोट के लिए मुआवजा देय है। तत्काल मामले में, दावेदार/अपीलकर्ता मृतक का वैध रेलवे टिकट पेश करने में विफल रहे। रीना देवी (उपरोक्त) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि टिकट के अभाव में भी दावे को कायम रखा जा सकता है, लेकिन इसे आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा

समर्थित किया जाना चाहिए। हालाँकि तत्काल मामले में, तथ्य और परिस्थितियाँ यह भी स्थापित नहीं करती हैं कि मृतक एक वास्तविक यात्री था। न्यायाधिकरण ने माना कि दावेदारों द्वारा प्रस्तुत फोटो-कॉपी से यह पता नहीं चलता कि मृतक बाढ़ से मोकामा जा रहा था या इसके विपरीत। इसमें यह भी नहीं बताया गया कि मृतक किस ट्रेन से यात्रा कर रहा था। ***भारत संघ बनाम रीना देवी, (2019) 3 एससीसी 572*** द एपेक्स मामले में अदालत ने कहा है कि रेलवे परिसर में केवल एक शव की उपस्थिति यह मानने के लिए निर्णायक नहीं होगी कि घायल या मृतक एक वास्तविक यात्री था जिसके लिए मुआवजे का दावा किया जा सकता है।तत्काल मामले में जी. आर. पी. एफ. द्वारा तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मृतक की मौत का कारण ट्रेन से भाग जाना था न कि दुर्घटनावश गिरना।यह एक स्वीकृत तथ्य है कि मृतक का शव रेल पटरियों पर पड़ा हुआ पाया गया था।हालाँकि, इस तथ्य का कोई प्रमाण नहीं है कि ट्रेन से दुर्घटनावश गिर गया था।

10. इस प्रकार, तत्काल मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, मैं दावेदार/अपीलकर्ताओं को रीना देवी (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करना अपीलकर्ताओं के लिए सहायक नहीं पाता।दावेदार/अपीलकर्ता उत्तरदाताओं से मुआवजे के लिए पात्र होने के लिए दोहरी आवश्यकताओं को स्थापित करने में विफल रहे, अर्थात। i. बोनाफाइड पैसेंजर और ii. अप्रिय दुर्घटना होती है।वर्तमान मामले में दावेदार/अपीलार्थी का समर्थन करने के लिए कोई नेत्र साक्ष्य नहीं हैं कि मृतक की मृत्यु दुर्घटनावश गिरने के कारण हुई थी और इस प्रकार यह एक 'अप्रिय दुर्घटना' थी। दावेदार की पत्नी ने अपने हलफनामे में कहा है कि जब उसके मृत पति घर नहीं लौटे, तो मोकामा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की खबर सुनकर वह घटनास्थल पर गई। इसके अलावा 22.12.2008 (अनुलग्नक A3) की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि मृतक की मृत्यु एक अज्ञात ट्रेन द्वारा उसे कुचलने के कारण हुई थी।

11. उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, दावेदार यह साबित करने में विफल रहे कि मृतक की मृत्यु रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (सी) (2) के तहत एक अप्रिय दुर्घटना थी। इस प्रकार, वे प्रत्यर्थी रेलवे से कोई मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। दावा न्यायाधिकरण के निष्कर्ष इस हद तक सही हैं कि दावेदार किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं हैं।

12. इस प्रकार वर्तमान अपील खारिज कर दी जाती है।

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

मयांक/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।